

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 162/2011/जयपुर

मैसर्स गोयल प्रोडक्ट्स,
एफ-3,प्लॉट नम्बर-9,वी.के.आई.ऐरिया, जयपुर।

.....अपीलार्थी

नाम्

- 1.जिला स्तरीय छानबीन समिति, जयपुर (शहर)।
- 2.आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
- 3.वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ई, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अलकेश शर्मा,

अधिवक्ता।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री वैभव कासलीवाल,

उप राजकीय अधिवक्ता।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.01.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी ईकाई द्वारा उक्त अपील, जिला स्तरीय छानबीन समिति, अलवर (जिसे आगे “छानबीन समिति” कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2010, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2010 को चुनौती दी गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ईकाई खाद्य तेल का विनिर्माण कर्ता है तथा जिसके द्वारा उत्पादन दिनांक 07.04.1987 से प्रारंभ किया गया था। ईकाई ने उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987(जिसे आगे “योजना” कहा जायेगा) के तहत जिला स्तरीय छानबीन समिति (जिसे आगे “समिति” कहा जायेगा) के समक्ष ₹11,65,631/- देय कर मुक्ति का लाभ स्थायी परिसम्पत्तियों में पूँजी विनियोग के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे समिति ने बैठक दिनांक 25.09.1989 को नई ईकाई नहीं होना अवधारित कर, प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।

ईकाई ने समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.1989 पर पुनर्विचार करने हेतु समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 09.05.1990 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि ईकाई दिनांक 07.05.1990 से नकारात्मक सूची में आती है।

ईकाई द्वारा पुनः राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.09.1990 के आलोक में, पुनर्विचार आवेदन पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विभाग द्वारा कर वसूली के लिये नोटिस जारी करने पर, उक्त के विरुद्ध ईकाई द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्रमांक 5922/90 दायर करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.1990 को Co-ercive Method से वसूली पर रोक स्वीकार किये जाने पर ईकाई ने इस तिथि से योजना का लाभ लेना प्रारंभ कर दिया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.1993 को अपीलार्थी ईकाई द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर, निर्णय पारित किया कि यदि ईकाई दिनांक 07.05.1990 से पूर्व स्थापित हो चुकी हो तथा उत्पादन दिनांक 31.03.1992 से पूर्व प्रारंभ हो चुका हो तो राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.05.1990 (नकारात्मक सूची में ऑयल इण्डस्ट्रीज को शामिल किया) योजना के लाभ में बाधक नहीं होगी।

इसी क्रम में समिति के समक्ष ईकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को ईकाई को बिना सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर, जरिये आदेश दिनांक 08.12.1993 के खारिज कर दिया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक 08.12.1993 के विरुद्ध अपीलार्थी ईकाई द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 467/94/जयपुर प्रस्तुत की गयी। कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये निर्णय दिनांक 22.08.1995 के स्वीकार कर, कतिपय निर्देशों के जरिये प्रकरण को पुनः समिति को प्रतिप्रेषित किया गया। कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 22.08.1995 के दिये गये निर्देशों की पालना में समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 23.09.1998 के जरिये ईकाई द्वारा प्रस्तुत योजना के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर, चाहे गये लाभ ₹11,65,631/- के स्थान पर ₹7.15 लाख का लाभ स्वीकार किया गया परन्तु उक्त के संबंध में कर मुक्ति प्रमाण पत्र (Exemption Certificate) जारी नहीं किया गया। पुनः पुनर्विचार आवेदन को भी समिति द्वारा दिनांक 29.12.1998 से निरस्त करने के विरुद्ध अपीलार्थी ईकाई द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 563/99 प्रस्तुत की गयी जिसे कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 23.08.2001 को प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, यह अवधारित किया गया कि ईकाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 115 एस.टी.सी. 25 मैसर्स गोपाल ऑयल मिल्स में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अपीलार्थी ईकाई अधिनियम के तहत भी लाभ प्राप्त करने की हकदार है तथा समिति द्वारा अस्वीकार किये गये लाभ ₹4,50,631/- के बिन्दु पर अपीलार्थी को सुनवायी

का अवसर प्रदान कर, आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के निर्णय के बावजूद समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 16.12.2002 से पुनः पूर्व आदेश को यथावत रखते हुये अवशेष लाभ भी स्वीकृत नहीं किया। इस आदेश के विरुद्ध पुनः कर बोर्ड के समक्ष अपीलार्थी ईकाई द्वारा अपील संख्या 6031/03 प्रस्तुत की गयी। कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये निर्णय दिनांक 21.10.2003 के निस्तारित कर, समिति को कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 23.08.2001 की पालना हेतु पुनः निर्देशित किया गया।

समिति ने बैठक दिनांक 18.10.2003 में कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 23.08.2001 व निर्णय दिनांक 21.10.2003 की पालना करने से इन्कार कर दिये जाने पर अपीलार्थी ईकाई द्वारा पुनः कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 2266/07 प्रस्तुत की गयी जिसे कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 22.02.2010 के स्वीकार कर, समिति को कर बोर्ड की की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा समय-समय पर पारित निर्णयों के जरिये दिये गये निर्देशों की पालना हेतु पाबंद किया गया। समिति ने कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध रिवीजन दायर नहीं कर, दिनांक 26.08.2010 की बैठक में निम्न आधारों पर अपीलार्थी ईकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया गया:-

(i) समिति द्वारा ईकाई को लाभ हेतु आवेदन पत्र, आवेदन संपूर्ण प्रमाण पत्र (Completion Certificate) जारी नहीं किया गया था तथा पात्रता प्रमाण पत्र भी दिनांक 02.03.1998 के बाद जारी किया गया था इसलिये ईकाई राजस्थान विक्य कर अधिनियम, 1994 के तहत दिनांक 04.04.1994 तक लाभ का हकदार नहीं थी।

(ii) ईकाई द्वारा चाहा गया लाभ ₹4,50,631/- को भी इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि ईकाई के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार EFCI केवल ₹7.15 लाख की थी एवम् कुछ आईटम उद्योग विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.10.1995 के अनुसार अनुज्ञेय नहीं थे यद्यपि परिपत्र दिनांक 03.08.1999 से अनुमत थे। इसलिये पुनः यह अपील दायर की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी ईकाई की ओर से विद्वान अभिभाषक ने समिति द्वारा

उठाये गये आक्षेपों का जवाब देते हुये कथन किया कि जहां तक अधिनियम के तहत् लाभ का प्रश्न है, ईकाई ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 29.10.1990 से लाभ लेना प्रारंभ किया था। ईकाई का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का दोष DIC का था जिसके लिये ईकाई हानि नहीं उठा सकती। अग्रिम कथन किया कि कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठों) द्वारा पारित निर्णयों क्रमशः दिनांक 23.08.2001, 21.10.2003, व दिनांक 22.02.2010 के विरुद्ध न तो समिति द्वारा उच्च न्यायालय के चुनौती दी गयी है न ही उनकी पालना की गयी जबकि कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय समिति पर बाध्यकारी हैं तथा समिति कर बोर्ड की अधीनस्थ संस्था है जिनके आदेशों का पालन नहीं होने पर कर बोर्ड की अवमानना का कृत्य कारित होता है।

यह भी कथन कि समिति ने ₹4,50,631/- का लाभ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत किया है जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुमानों पर आधारित होती है। जबकि वास्तविक निवेश के आधार पर योग्य पूंजी निवेश पर लाभ देय होता है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में वा. क.अ. बनाम् मैसर्स एशिया पैक लि. XXIII T.N. 332 में प्रतिपादित सिद्धांत को प्रोद्धरित किया गया।

उक्त आधारों पर अपीलार्थी ईकाई के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना की कि समिति को निर्देशित किया जाये कि ईकाई को दिनांक 29.10.1990 से 04.04.1994 तक अधिनियम के तहत् लाभ स्वीकृत कर, ईकाई को ई.सी. जारी करे तथा समिति ₹0 ₹4,50,631/- का अतिरिक्त लाभ भी स्वीकृत करे तथा कर बोर्ड के निर्णयों की अवहेलना के लिये समिति के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी पारित करे।

प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने समिति द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, ईकाई को अधिनियम के तहत् लाभ अस्वीकृत करने तथा अतिरिक्त निवेश को भी अस्वीकृत करने संबंधी पारित आदेशों की पुष्टि कर, उक्त बिन्दुओं पर अपीलार्थी ईकाई द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठों) द्वारा अपीलार्थी

ईकाई के संबंध प्रस्तुत अपील के संबंध में समय-समय पर पारित निर्णयों व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि क्या ईकाई को अधिनियम के तहत निर्मित खाद्य तेल के विक्रय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्टे दिनांक 29.10.1990 से दिनांक 04.04.1994 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स गोपाल ऑयल मिल में प्रदत्त स्टे) तक योजना का लाभ दिया जा सकता है ? तथा क्या ईकाई द्वारा चाहा गया निवेश ₹4,50,631/- पर भी योजना के तहत लाभ देय है। इन दोनों बिन्दुओं पर समन्वय पीठ के निर्णय दिनांक 23.08.2001 व दिनांक 21.10.2003 को विचारित करते हुये समन्वय पीठ ने निर्णय दिनांक 22.02.2010 में प्रकरण को समिति को प्रतिप्रेषित कर, निर्देशित किया गया था कि:-

“राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 23.08.2001 को निर्णय पारित करते हुये पूर्व में जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखते हुये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। विद्वान छानबीन समिति द्वारा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णयों में दिये गये निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पालना करते हुये आदेश पारित नहीं किया गया है। अपने आदेश में अस्वीकृति के कारणों को सुस्पष्ट नहीं किया गया है। अतः पुनः प्रकरण छानबीन समिति को प्रतिप्रेषित करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठों द्वारा पूर्व में पारित किये गये निर्णय दिनांक 23.08.2001 एवम् दिनांक 21.10.2003 के प्रकाश में, अपीलार्थी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् पुनः सुस्पष्ट निर्णय पारित करें।”

कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2001 में यह अंकित किया गया है कि:-

“विद्वान वकील अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा आर. एस.टी. के तहत लाभ ले लिया गया है, इसलिये 115 एस.टी. सी. 25 (सूको.) स्टेट बनाम् गोपाल ऑयल मिल्स में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार दिनांक 04.04.1994 तक के लिये गये लाभ की सीमा तक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाये। ऐसी स्थिति में, प्रकरण प्रत्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है कि यदि अपीलार्थी राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त कर लेने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत कर

देवे तो प्रत्यर्थी राजस्थान विक्य कर अधिनियम के तहत् दिनांक 04.04.1994 या पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि जो भी पहले समाप्त हो, तक के लिये पात्रता प्रमाण पत्र जारी करे।

अतः अपीलार्थी की अपील खिलाफ प्रत्यर्थी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये पूर्व में जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखते हुये प्रकरण प्रत्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रत्यर्थी को सुनवायी का उचित अवसर देकर विधिवत् स्पष्ट आदेश पारति करें।"

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2003 में प्रकरण को प्रतिप्रेषित करते हुये यह अंकित किया गया है कि:-

" हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा रेकार्ड का अवलोकन किया। इसी कर बोर्ड ने दिनांक 23.8.2001 को अपने प्रतिप्रेषण आदेश मे दो बिन्दुओं पर निर्देश दिये थे, प्रथम कि रु0 4.50 लाख के पूँजी विनियोजन को अस्वीकृत करने के स्पष्ट कारण दिये जाने चाहिये थे अतः इस पर पुनः विधिसम्मत निर्णय लेने हेतु कहा गया था। द्वितीय, कि राजस्थान विक्य कर अधिनियम मे कर मुक्ति लाभ स्वीकृत करने हेतु 115 एस.टी.सी. 25 (सु. को.) मै0 गोपाल आयल मिल्स के प्रकरण मे प्रतिपादित मतानुसार व्यवहारी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावे। निर्देश बिल्कुल स्पष्ट थे, पर रेकार्ड देखने से ज्ञात होता है कि छानबीन समिति ने अपनी बैठक दिनांक 16.12.2002 मे रु0 4.50 लाख के स्थायी पूँजी विनियोजन को पुनः अस्वीकार करने के पीछे कोई कारण नहीं दिया है अतः उनका आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं कहा जा सकता है। इसी के साथ राजस्थान विक्य कर अधिनियम के तहत लाभ प्राप्ति सम्बंधी साक्ष्य देने मे किसी भ्रांतिवश सम्भवतः व्यवहारी से भूल हुई है जबकि उसके अनुसार उसके पास साक्ष्य उपलब्ध थी। किसी भ्रांति के वशीभूत यदि विधिविरुद्ध कार्य होता है तो वह उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित कर छानबीन समिति को ये निर्देश दिये जाते हैं कि व्यवहारी को पुनः सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर प्रथम बिन्दु पर स्पष्ट विधिसम्मत आदेश पारित करें तथा द्वितीय बिन्दु पर व्यवहारी को उसके पास उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने

का अवसर प्रदान कर इसी बोर्ड के निर्णय दिनांक 23.8.2001 के अनुरूप आदेश पारित करें। व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह छानबीन समिति की बैठक में इस बिन्दू से सम्बंधित एवं छानबीन समिति द्वारा चाहे जाने पर अन्य सभी साक्ष्य प्रस्तुत करें। ”

चूंकि ऑयल निर्माण ईकाईयों को अधिनियम के तहत लाभ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 115 एस.टी.सी. 25 मैसर्स गोपाल ऑयल मिल के निर्णय के आधार पर दिया जाता है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 08.12.1993 में दिनांक 07.05.1990 से पूर्व उत्पादन में आई ईकाईयों को योजना का लाभ दिया जा सकता है। इसलिये दिनांक 04.04.1994 तक ईकाई को भी लाभ दिया जाना चाहिये।

जहां तक अतिरिक्त विनियोजन का प्रश्न है, आयुक्त उद्योग के परिपत्र दिनांक 03.08.1999 के आलोक में, लाभ स्वीकृत नहीं किया जा सकता। उद्योग निदेशालय के निर्देशानुसार “इस योजना के अन्तर्गत योग्य पूँजी विनियोजन का निर्धारण करते समय ऐसे विविध आईटम्स को भी शामिल कर लिया जाये जिन्हें अब तक शामिल नहीं किया जा रहा था।” परन्तु साथ ही यह शर्त लगा दी गयी कि “पूर्व में निर्णित प्रकरणों को इस हेतु नहीं खोला जाये।” चूंकि यह प्रकरण समिति द्वारा दिनांक 23.09.1998 को निर्णित हो चुका था। इसलिये योग्य पूँजी विनियोजन के पुनः निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः उक्त बिन्दू पर अपीलार्थी ईकाई द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल)

सदस्य

21.01.2014

(जे.आर.लोहिया)

21/01/14
सदस्य